न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष सत्र परीक्षण सं0 742 / 2026
सरकार बनाम अब्दुल अजीज
सीएनआर नम्बर– UKHA01-002106-2026
सीआईएस नम्बर 742 / 2026
मु0अ0सं0 330 / 2022
थाना रूड़की
अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम

दिनांक 15.07.2026

आज यह पत्रावली अभियुक्त अब्दुल अजीज मय अधिवक्ता श्री वासु अग्रवाल के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत हुई।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कागज सं0 9क / 1 से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152(2) विद्युत अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अभियुक्त ने विद्युत विभाग की असैसमेंट की धनराशि व शमन शुल्क की धनराशि का भुगतान कर दिया है। धारा 152(2) विद्युत अधिनियम का लाभ देते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित किया गया कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग की निर्धारण धनराशि तथा शमनीय शुल्क जमा कर दिया है, अतः अभियुक्त को धारा 152(2) का लाभ दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग की निर्धारण धनराशि तथा शमन शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है।

अतः असैसमेन्ट की धनराशि व कम्पाउन्ड धनराशि जमा कर दिये जाने के कारण अब मामले की कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध अग्रसारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा अभियुक्त को धारा 152(2) विद्युत अधिनियम का लाभ देते हुए प्रस्तुत विशेष सत्र विचारण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(नरेन्द्र दत्त)
सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।